बना रहा । विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात लघु उद्योग निगमों को कच्चा लोहा और इस्पात का आवंटन करता है जिन्हें मुख्य उत्पादकों द्वारा समय-समय पर घोषित मूल्यों पर प्राथमिकता के आधार पर आपूर्ति की जाती है ।

लघु उद्योग की इकाइयां संबंधित लघु उद्योग निगमों से तथा मुख्य उत्पादकों से इस्पात की अपनी मांग पूरी कर सकते है । स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि० की वर्तमान विपणन नीति के अनुसार सभी ग्राहकों, जिनमें लघु उद्योग की इकाइयां भी शामिल हैं, अपनी मांग को 'सेल' में पंजीकृत करने के लिए स्वतंत्र हैं और उन्हें उपलब्धता के अनुसार आपूर्ति मिल सकती है ।

(ख) और (ग) 'सेल' से सप्लाई लेने वाली लघु उद्योग इकाइयों की संख्या के बारे में 'सेल' द्वारा कोई पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते।

Modernisation Plans drawn by SAIL

3436. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of STEEL be pleased to state:

(a) what has been the production against the targets set by SAIL for the year 1991-92 and 1992-93;

(b) the details of the steps taken by SAIL to cut cost of production during the last two years;

(c) how this have helped to increase profit earned by SAIL; and

(d) the details of various modernisation plans drawn by SAIL?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STEEL (SHRI SONTOSH MOHAN DEV): (a) The production of saleable steel by the Integrated Steel Plants of Steel Authority of India Limited is as follows:

Unit : Million Tonnes

Year	Target	Actual
1991-92	7.951	8.028
1992-93	8.216	8.335

(b) Steel Authority of India Limited (SAIL) is taking the following steps to reduce the cost of production:

1. Increase in production of saleable steel.
2. Improvement of techno-economic parameters so as to effect cost reduction.
3. Reduction in energy consumption.
4. Improvement in yield of by-products and better recovery of waste and secondary arisings.
5. Optimising of captive power generation.
6. Better inventory management.
7. Vigorous implementation of budgetary control system.
8. Inculcation of cost consciousness at all levels in the Company.
9. Modernisation and technological upgradation of plant and equipment.

(c) As a result of the above steps and the other measures taken, Steel Authority of India Limited (SAIL) was able to improve its profit continuously during the last few years.

(d) In case of SAIL plants, Government have approved the modernisation of Durgapur Steel Plant at a total cost of Rs. 2667.67 crores (Definitive Cost Estimate), Rourkela Steel Plant at a total cost of Rs. 3954 crores (Revised Cost Estimate) and Bokaro Steel Plant at a total cost of Rs. 1625.79 crores.

The above modernisation projects are under various stages of implementation and will result in higher BF productivity, reduction in coke rate, energy consumption and production costs, increase in manpower productivity and Crude Steel production, better quality products, improvement in techno-economic parameters and environment conditions, etc.

इस्पात पर भाड़ा प्रभार

3237. **चौधरी हरमोहन सिंह** : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड द्वारा इस्पात पर उपभोक्ताओं से भाड़ा प्रभार लेने से संबंधित नियम क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि गाजियाबाद स्थित स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यालय में भाड़ा प्रभार सामान्य दर से अधिक लिया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस अतिरिक्त प्रभार-राशि को वापस देने के संबंध में अब तक क्या प्रयास किये गये हैं ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) : (क) दिनांक 16-1-92 से माल भाड़ा समकरण योजना को समाप्त करने के बाद 'सेल' जैसे इस्पात के अन्य प्रमुख उत्पादक वास्तविक माल भाड़ा अथवा अधिकतम माल भाड़ा तत्व, इनमें से जो भी कम हो, लोहे और इस्पात की सामग्री की जे०पी०सी० श्रेणियों पर वसूल कर रहे हैं। अधिकतम माल भाड़ा तत्व (जो 16-1-92 तक तत्कालीन जे०पी०सी० मूल्यों में शामिल है, पूर्ववर्ती समकृत माल भाड़ा तत्व के अनुरूप है) की हाल ही में संशोधित करके 1210 रुपये प्रति टन कर दिया गया।

परिणास्वरुप, इस्पात की स्टाकयार्ड डिलिवरी के संबंध में उपभोक्ताओं (प्रासंगिक माल भाड़े के अनुरूप) से प्रति टन वसूल किया जाने वाला माल भाड़ा वह वास्तविक माल भाड़ा होता है जो रेलवे रसीद को बीजक की मात्रा से भाग करके उसमें साइडिंग, हाउलिंग और संटिंग के रूप में 35 रुपये जोड़ कर जो बनता है अथवा 1210 रुपये प्रति टन, इनमें से जो कम हो, होता है।

गैर जे०पी०सी० मदों के मामले में, इस्पात की स्टाकयार्ड डिलिवरी के संबंध में प्रासंगिक माल भाड़ा वह वास्तविक माल भाड़ा होता है जो रेलवे रसीद को बीजक की मात्रा से भाग करके उसमें साइडिंग, हाउलिंग और संटिंग चार्च के रूप में 35 रुपये जोड़कर बनता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

इस्पात के मूल्यों का विनियमन समाप्त करना

3438. **श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाल**: क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूल्यों से विनियमन समाप्त करने के पश्चात इस्पात उत्पादों के संबंध में विभिन्न उत्पादन इकाइयों द्वारा किये जाने वाले मूल्यों में कुछ परिवर्तन हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?